भंवरे आके फूलों से कुछ कहते तो होंगे फूल की खुशबू को वो लेते तो होंगे। खिल उठी कलियां कमल की, उसके छूने से।

—— डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', पूर्व केंद्रीय मंत्री

पंचायत स्तर पर जल-प्रबंध, स्वच्छता के लिए योजनाएं बने, जनभागीदारी बढ़ायी जाए।

—— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

उच्च स्तर पर पहुंची बिजली की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच बिजली की मांग बढ़कर 5247 मेगावाट पहुंच गई। बृहस्पतिवार सुबह 10.56 पर बिजली की मांग अधिक रही। हालांकि बिजली कंपनियों की पूर्व तैयारी के चलते बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रही। बिजली आपूर्ति कर रहीं कंपनी टाटा पावर डीडीएल एवं बीएसईएस ने पर्याप्त बिजली की व्यवस्था कर रखी थी।

राजधानी में सर्दी बढने से दिल्ली में बिजली की मांग गुरूवार को बीते दो साल के उच्चस्तर 5,247 मेगावॉट पर पहुंच गयी। बिजली वितरण कंफनी टाटा पावर डीडीएल तथा बीएसईएस दोनों ने बयान में अधिकतम मांग को पूरा करने का दावा किया है। वितरण कंपनियों के मुताबिक यह मांग दो साल में न केवल जनवरी माह में सर्वाधिक है, बल्कि सर्दी के मौसम में अब तक की सबसे अधिक मांग रही है।

राजधानी में पड़ रही कड़ाकी की ठंड के दौरान अलाव तापते लोग। फोटो : सुभाष पॉल

अभी दो दिन गलन वाली ठंड से राहत के आसार नहीं

- आयानगर का न्यूनतम तापमान पहुंचा 2.2 डिग्री सेल्सियस
- सामान्य न्यूनतम तापमान रहा 3 डिग्री
- शुक्रवार को भी जारी रहेगा शीतलहर का कहर

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दिल्ली-एनसीआर के लोग इन दिनों गलन वाली ठंड सामना कर रहे है। दिनभर कोहरे की चादर सूरज की रोशनी को धरती तक नही पहुंचने दे रही है जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक दिल्ली में ऐसी ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने की बात कही है। साथ ही तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

बृहस्पतिवार को तो दिल्ली के आयानगर इलाके का न्यूनतम तापमान गिरकर 2.2 डिग्री सेल्सियस रह गया था, जबकि लोधी रोड और रिज एरिया का 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आज यहां का सामान्य न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो बुधवार 4.4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यहां के तापमान के 17 और 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने और शीतलहर के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। बृहस्पतिवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया था जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता का स्तर गिरकर 50 मीटर तक रह गया था। खुले इलाकों में तो कोहरा और घना था। यह स्थिति तब थी जब पहाड़ों से होकर आने वाली सर्द हवाएं दिल्ली में चल रही है। इसके बावजूद कोहरा छंट नही रहा है। इसकी वजह ठंड का ज्यादा होना बताया जा रहा है। अगर पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाले तो आज के दिन दिल्ली का तापमान कभी भी इतना नीचे नही लुढ़का है। जाफरपुर इलाके का अधिकतम तापमान तो सबसे कम 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

आज यहां का सामान्य अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। आज यहां का सामान्य न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो औसत से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में शुक्रवार को यहां के तापमान के 17 और 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने। सुबह की शुरुआत घने कोहरे और शीतलहर के साथ होने की चेतावनी दी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008
कार्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137

अचल संपत्तियों की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों),गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां) **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की **कर्जदार/रों नामतः 1. मैसर्स जेसिका ज्वैल्स ऐंड फैशन प्राइवेट लिमिटेड ("कर्जदार") 1. श्री विपिन कुमार गुप्ता, 2. श्री सविता गुप्ता, 3. श्री जय किशन अग्रवाल, 4. श्री अमित गुप्ता, 5. मैसर्स प्रकाश ट्रेड विजन एलएलपी, 6. मैसर्स वीसा एनट्रेड एलए लपी, 7. मैसर्स कारा बिल्डटेक एलएलपी, 8. मैसर्स जेसिका एनट्रेड एलएलपी (गारंटर तथा/अथवा बंधकदाता)** की तरफ **18 दिसम्बर, 2015** तक बकाया **रु. 22,47,25,261.01 (रूपए बाईस करोड़ सैंतालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ इकसठ तथा पैसे एक मात्र)** पूर्ण और अंतिम भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक **25 जनवरी, 2023** को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा और नीलामी कार्यक्रम नीचे वर्णित किया गया है :

बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	ऑनलाइन बोली जमा करने हेतु अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय / सुरक्षित मूल्य (आईएनआर) / धरोहर राशि जमा(ईएमडी) (आईएनआर)
मैसर्स कारा बिल्डटेक एलएलपी	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 14 का प्रथम तल, ब्लॉक ए–2, क्षेत्रफल परिमाप 351 वर्ग मीटर, जैसाकि सेल डीड में वर्णित है, छत के अधिकार नहीं, वर्तमान और भावी स्ट्रक्चर्स सहित, जिसमें जनकपुरी आवासीय स्कीम, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति में कॉमन ड्राइवे, लिफ्ट (यदि कोई), प्रवेश, रास्ता, जीना, वर्तमान और भावी विकास अधिकारों में सभी वर्तमान और भावी अधिकारों, स्वत्याधिकार, हित, उपभोगाधिकार, विशेषाधिकार, फिटिंग्स, फिक्सचर्स, कनेक्शन्स शामिल हैं। **चौहद्दी : उत्तर** : सर्विस लेन, **पूरब** : प्लॉट नंबर 13, **दक्षिण** : रोड, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर 15	24 जनवरी, 2023 अप. 04.00 बजे तक	25 जनवरी, 2023 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे के बीच रु. 2,10,00,000/– (रूपए दो करोड़ दस लाख मात्र) रु. 21,00,000/– (रूपए इक्कीस लाख मात्र)

अधोहस्ताक्षरी एकमात्र अपने विवेकानुसार और संभावित खरीदारों से अनुरोध पर, **अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अभिकर्ता के माध्यम से 23 जनवरी, 2023 को अप. 3.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक के बीच उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए व्यवस्था कर सकते हैं।**

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से **25 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच,** 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं, **संपर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान–** 98138–87931, **ईमेल : delhi@clindia.com** और **support@bankeauctions.com, हेल्पलाइन नंबर .91–124 4302020/2021/2022/2023/2024, सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.** 2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html vkSj@;k https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं। 3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है। 5. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 24 जनवरी, 2023 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी manu.shrotriya@kotak.com और vikram.sharma@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स जेसिका ज्वैल्स ऐंड फैशन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु"** लिखना चाहिए। 6. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। 7. **धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में 24 जनवरी, 2023 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक** जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नही मिलेगा। 8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली **रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र)** के गुणकों में बढ़ानी होगी। 9. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। 10. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। 11. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नही होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी। 12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। 13. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नही करेगा। 14. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा। 15. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 16. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है। 17. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए इच्छुक है तो उसको उपरिवर्णित प्रक्रिया के अनुसार हर सम्पत्ति के लिए अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी। 18. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नही होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए अधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नही बनाता है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नही करने और/या किसी भी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 19. बैंक को माननीय डीआरटी–1, दिल्ली के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस ए) नंबर 145/2016 तथा (एस ए) नंबर29/2018 के लम्बित होने के अलावा अन्य किसी ऋणभार की जानकारी नही है और आज की तिथि में विषयगत सम्पत्ति की नीलामी पर कोई स्थगनादेश नही है। विषयगत सम्पत्ति इस समय दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सीलबंद है तथा एमपीडी–2021 के अनुसार एफएआर अनुरक्षित नही किए जाने के कारण उक्त सम्पत्ति में अनधिकृत निर्माण के कारण विखंडन की सूची में है। 20. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नही होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। 21. इस क्रम में, बोली लगाने वाले को आयोजित ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, लेकिन बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नही किया जाएगा। 22. पंजीकरण शुल्क, स्टाप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी। 23. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा। 24. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नही) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा। 25. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से बंधक रखने वाले मैसर्स कारा बिल्डटेक एलएलपी के पैन नंबर– AANFK7640M के पक्ष में लागू टीडीएस (1%) काटकर जमा करेगा और उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। 26. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार"** यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड/नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नही करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा (नो रिकोर्स) के आधार पर होगी। 27. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 28. प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद में उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी/बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नही किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 29. यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 30. बोलीदाताओं को उचित इटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा। 31. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नही होंगे। 32. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं। 33. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। **34. अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी श्री मनु श्रोत्रिय (मोबाइल नंबर .919667220601) या श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नंबर +91–9667221449 या बैंक अधिकारी श्री विनोद मरानी (मोबाइल नंबर 9810004107) और श्री विपुल दुबे (मोबाइल नंबर +91–8377905113) से संपर्क करें।**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर 'प्रतिभूत संपत्ति' (उपरोक्त वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थानः दिल्ली
तिथि : 04–01–2023

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

निजी स्कूलों में भी 15 तक शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी)। व्यापारियों के संगठन सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लिखकर निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तरह 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। गोयल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लिखे पत्र में कहा है कि सरकारी स्कूलों में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है लेकिन प्राइवेट स्कूलों में केवल 8 जनवरी तक अवकाश। जबकि इस समय दिल्ली में सुबह के समय भयंकर ठंड एवं कोहरे के कारण बच्चों के साथ साथ बसों, कैब एवं गाड़ियों के लाने ले जाने में असुविधा हो रही है।

बीते साल डेंगू के 4,469 मामले मिले

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में 2022 में डेंगू के 4,469 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में इस बीमारी के मामलों की तुलना में 53 प्रतिशत कम हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 31 दिसम्बर तक डेंगू के कारण 9 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में 2021 में 9,613 मामले पाए गए थे, जो 2015 के बाद सर्वाधिक थे। उस वर्ष 23 लोगों की मौत भी हुई थी, डेंगू से मौत का 2016 के बाद यह सर्वाधिक आंकड़ा था। डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के मामले आम तौर पर जुलाई और नवंबर के बीच मिलते है। कभी-कभी यह समय दिसंबर मध्य तक बढ़ जाता है।

25 बाल मजदूरों को मिली आजादी

- मुक्त करवाए गए सभी बच्चों की उम्र नौ से 17 साल है, इनमें से सात लड़कियां

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कई निर्माण इकाइयों से 25 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन की सहयोगी संस्था 'सहयोग केयर फॉर यू' ने केएससीएफ के 'एक्सेस टू जस्टिस' कार्यक्रम के तहत अलीपुर एसडीएम, लेबर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी कर छुड़ाया है।

मुक्त करवाए गए सभी बच्चों की उम्र नौ से 17 साल है, इनमें से सात लड़कियां हैं। इन बच्चों से जबरन जूते, क्रॉकरी और सैनिटरी निर्माण की इकाइयों में बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। बच्चों ने बताया कि उनसे रोजाना 15-15 घंटे काम करवाया जाता था और मजदूरी के नाम पर केवल सौ से दो सौ रुपए मिलते थे। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अलीपुर एसडीएम ने इन निर्माण इकाइयों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस को आदेश जारी किए हैं। बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाने के बाद 'सहयोग केयर फॉर यू' के महासचिव शेखर महाजन ने कहा कि इन बच्चों को पड़ोसी राज्यों से ट्रैफिकिंग करके लाया गया था।

इनको जबरन 15 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और मजदूरी के नाम पर नाममात्र के पैसे दिए जाते थे। महाजन ने कहा कि हमने एसडीएम और लेबर डिपार्टमेंट से मांग की है कि उक्त चार निर्माण इकाइयों को सील किया जाए और इनके मालिकों से बच्चों को तत्काल मुआवजा दिलवाया जाए।

झूठे वादे कर दिल्लीवासियों को धोखा दे रही सरकार : बिधूड़ी

- रोजगार बजट को लेकर सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने झूठे वादे करने को लेकर बृहस्पतिवार को केजरीवाल स